

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : राआम/मुसप्र/2020/824

दिनांक : 01/12/2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों को सम्बंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता/उप आवासन आयुक्त की अनुषंशा के आधार पर 0-25 प्रतिशत एवं 0-50 प्रतिशत स्लेब में छूट प्रदान करते हुए ई-बिड सबमिशन (बुधवार नीलामी उत्सव) के तहत किराया क्रय पद्धति के माध्यम से 13 वर्ष की 156 मासिक किश्तों में निस्तारण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	योजना/शहर का नाम	आय वर्ग	आवासों की संख्या	0-25 प्रतिशत	0-50 प्रतिशत
जयपुर, वृत्त-तृतीय, जयपुर					
1.	जवाहर नगर, जयपुर	LIG (G+2) Flat	2/447, 4/367	2	0
2.	जवाहर नगर, जयपुर	HIG Duplex Flat	C-82 (Gole Market)	1	0
3.	खान भाखरी रोड़ योजना, दौसा	LIG	2/192	0	1
कुल				03	01
अलवर-वृत्त-अलवर					
1.	अरावली विहार भिवाड़ी	EWS Flat	10/712, 10/804, 10/842, 10/1017, 10/758, 10/767, 10/1018, 10/1074, 10/1075, 10/1089, 10/1092, 10/1105	12	0
2.	अरावली विहार भिवाड़ी	LIG Flat	9/124, 9/460, 8/488, 9/498, 9/500, 9/504, 9/514	7	0
3.	अरावली विहार भिवाड़ी	MIG-A Flat	8/134, 8/194	0	2
4.	अरावली विहार भिवाड़ी	MIG-B Flat	4N/F/13, 4N/F/14	0	2
कुल				19	04
उदयपुर-वृत्त, उदयपुर					
1.	दक्षिण विस्तार योजना, उदयपुर	MIG-A House	B-180, B-183, B-192	3	0
2.	शास्त्री नगर, बांसवाड़ा	MIG-A House	3-H-04, 1-G-14, 2-A-25, 4-A-23, 4-A-24, 4-A-25	6	0
3.	परतापुर आवासीय योजना, डूंगरपुर	MIG-A House	7/27, 7/28, 7/29, 7/31, 7/32, 7/33, 7/34, 7/35, 7/36, 7/37	10	0
4.	परतापुर आवासीय योजना, डूंगरपुर	MIG-B House	1/60, 1/63, 5/13, 5/18, 5/22, 5/23, 6/13, 1/09, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 2/03, 2/06, 2/07, 2/08, 2/09, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/63, 2/64, 2/65, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69	36	0
5.	परतापुर आवासीय योजना, डूंगरपुर	HIG House	5/03, 5/06, 1/01, 1/02, 1/03, 1/04	6	0
कुल				61	0
जोधपुर-वृत्त, जोधपुर					
1.	मारवाड़ अपार्टमेन्ट, चौपासनी, जोधपुर	MIG-B (S+9) Flat	14E-A-607, 14E-B-308, 14E-B-805, 14E-A-502, 14E-A-906, 14E-B-101, 14E-B-307, 14E-B-608	0	8
2.	कुड़ी भगतासनी	EWS (G+3)	12-J-78, 12-I-14, 12-I-47, 12-I-63, 12-I-128,	103	0

योजना, फेज-द्वितीय	Flat	12-D-112, 12-D-142, 12-D-160, 12-B-1, 12-C-17, 12-C-81, 12-H-19, 12-H-33, 12-H-35, 12-H-65, 12-H-66, 12-A-87, 12-A-117, 12-B-5, 12-B-85, 12-C-21, 12-C-71, 12-C-102, 12-H-22, 12-H-23, 12-H-24, 12-H-37, 12-H-54, 12-H-56, 12-H-69, 12-H-70, 12-A-11, 12-A-123, 12-B-12, 12-B-73, 12-B-74, 12-B-92, 12-H-27, 12-H-28, 12-H-43, 12-H-57, 12-B-30, 12-B-31, 12-B-64, 12-B-80, 12-C-13, 12-C-14, 12-C-30, 12-C-48, 12-D-46, 12-D-173, 12-H-30, 12-H-32, 12-H-61, 12-H-64, 12-H-80, 12-H-95, 12-A-4, 12-A-36, 12-A-66, 12-D-162, 12-A-103, 12-B-103, 12-H-55, 12-A-10, 12-A-26, 12-A-27, 12-A-106, 12-A-122, 12-B-42, 12-B-76, 12-C-28, 12-C-43, 12-D-28, 12-D-170, 12-D-210, 12-H-74, 12-A-15, 12-A-32, 12-A-62, 12-B-48, 12-B-94, 12-H-47, 12-K-3, 12-K-36, 12-D-116, 12-I-116, 12-I-66, 12-K-40, 12-J-8, 12-J-54, 12-J-70, 12-I-56, 12-J-59, 12-I-73, 12-K-48, 12-J-31, 12-I-13, 12-I-15, 12-I-45, 12-I-111, 12-D-77, 12-D-80		
		कुल	103	08
		महायोग	186	13

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा उक्त 186 सम्पत्तियों का निस्तारण न्यूनतम ऋणात्मक वर्तमान आरक्षित दर में 0-25 प्रतिशत व 13 सम्पत्तियों को 0-50 प्रतिशत स्लेब में रखते हुए ई-सबमिशन (बुधवार नीलामी उत्सव) के तहत मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/29 दिनांक 27-05-2020 में निर्धारित शर्तों के अनुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।



(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-प्रथम, द्वितीय एवं मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, द्वितीय, तृतीय जयपुर/जोधपुर।
4. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय जयपुर एवं वृत्त प्रथम, द्वितीय, जोधपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर/कोटा, बीकानेर, उदयपुर रा0आ0म0।
8. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड- (सम्बन्धित)
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. प्रभारी मार्केटिंग सेल राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।



मुख्य अभियन्ता (मु.)